का हरियाणा विधेयक 2024संख्या.....

हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक2024 ,

हरियाणा राज्य में शव के बुनियादी मानवधिकारों को बनाए रखने और शव के

सम्मानपूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे सम्बन्धित

और आनुषंगिक मामलों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा

-निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः

| | |
|---|---|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ । | 1. (1)यह अधिनियम हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान अधिनियम2024 , कहा जा सकता है।<br>(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा। |
| परिभाषाएं । | 2. (1)इस अधिनियम में ,जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , -<br>(क)"शव" से अभिप्राय हैजिसे परिवार ,किसी मृत इंसान का शरीर , के किसी सदस्य द्वारा अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाने से प्रदर्शन के -इनकार कर दिया जाता है या ले जाने के बाद विरोध उद्देश्य से उपयोग किया जाता है;<br>(ख) "पारिवारिक सदस्य"" " में शामिल हैं ,पत्नी ,माता ,पिता , बेटी या कोई भी व्यक्ति जो विवाह या दत्तक ग्रहण से ,बेटा ,भाई मृतक से संबंधित है या संयुक्त परिवार में एक साथ रहने वाला ;परिवार का कोई सदस्य<br>(ग)"आनुवंशिक डेटा "से अभिप्राय है, डी एन0 या आर0 ए0 एन0 0 के विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त शव की विरासत में मिली ए0 ;या से प्राप्त आनुवंशिक विशेषताओं से सम्बन्धित व्यक्तिगत डेटा<br>(घ)"सरकार "से अभिप्राय हैप्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य , ;की सरकार<br>(ङ)"अंतिम संस्कार "से अभिप्राय हैउस समुदाय या , धर्म की परंपरा या रीतिके अनुसार ,जिससे मृतक सम्बन्धित था ,रिवाज- ;शव का अंतिम संस्कार<br>(च) "विहित""से अभिप्राय हैइस अधिनियम के अधीन बनाए गए , ;नियमों द्वारा विहित<br>(छ)"विरोध "प्रदर्शन-से अभिप्राय हैकिसी शव का अंतिम संस्कार , अ ,करने से रोकने के लिए किसी प्रदर्शनवज्ञा या आन्दोलन के माध्यम से मांग करना या किसी मांग को मनवाने के लिए परेशान करनातथा ;<br>(ज)"राज्य "से अभिप्राय हैहरियाणा राज्य । ,<br>,इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता (2) 1974) 1973का केन्द्रीय अधिनियम ,भारतीय दण्ड संहिता ,(2 |

| | |
|---|---|
| | 1860) 1860 का केन्द्रीय का अधिनियम हरियाणा पुलिस ,(45 2008) 2007 ,अधिनियमका (25और हरियाणा शरीररचना विज्ञान - 1974) 1974 ,अधिनियमका (24में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगेजो उन्हें क्रमशः उन , अधिनियमों में दिए गए हैं।/संहिताओं |
| अंतिम संस्कार का अधिकार । | 3. तत्समय लागू किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , प्रत्येक शव को सम्मानजनक रुप से तथा समय पर अंतिम संस्कार का अधिकार होगा। |
| पारिवरिक सदस्य द्वारा शव का कब्जा लेना। | 4. इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धिक विधिक प्रक्रिया की सम्यक् अनुपालना करने के पश्चात् , परिवार के सदस्य का शव को कब्जे में लेने का कर्तव्य होगा और सुनिश्चित करेगा कि पुलिस या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या अस्पताल प्रबन्धक द्वारा शव सौंपे जाने पर अंतिम संस्कार किया गया हैः<br>परन्तु परिवार के सदस्य द्वारा शव ले जाने से इनकार करने की स्थिति में ,जिससे वह अंतिम संस्कार से वंचित हो जाए , कार्यकारी मजिस्ट्रेट या सुनिश्चित करेगा कि अंतिम संस्कार तुरन्त किया गया हैः<br>परन्तु यह और कि महामारी फैलने या किसी आपदा की स्थिति में जिसमें व्यक्ति का शव पारिवारिक सदस्य को नहीं सौंपा , जा सकतानिर्देश -तो सरकार ऐसे शव के निपटान के लिए दिशा , जारी करेगी। |
| विरोधप्रदर्शन के - लिए शव का उपयोग नहीं किया जाना । | 5. परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के विरोधप्रदर्शन के - लिए शव का स्वयं उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को शव का उपयोग करने के लिए उकसाएगा नहीं या सहमति नहीं देगा । |
| पुलिस अधिकारी की शव को कब्जे में लेने की शक्ति । | 6. जब कभी किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास (1) व्यक्तिगत जानकारी से या अन्यथा से लिपिबद्ध कारणों से यह विश्वास करने का कारण है कि किसी शव का उपयोग परिवार के किसी सदस्य द्वारा या व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा विरोधप्रदर्शन - के लिए किए जाने की संभावना है या इस प्रकार उपयोग किया जा तो वह शव को अपने कब्जे में ले लेगा और इस आशय की ,रहा है सूचना तुरन्त सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।<br>पुलिस थाने का प्रभारी ,शव को अपने कब्जे में लेने के पश्चात् (2) परीक्षा के लिए भेजेगा ।-अधिकारी शव को तुरन्त शव |
| कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति । | 7. (1)धारा 6 के अधीन सूचना प्राप्त होने के पश्चात्, सम्बन्धित कार्यकारी मजिस्ट्रेट ,मृतक के परिवार के किसी सदस्य को अभिरक्षा मे लेने के लिए और शव का अंतिम संस्कार करने के लिए नोटिस देगा।<br>(2) जब कभी भी कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी |

| | |
|---|---|
| | की रिपोर्ट या उपरोक्त उपके अधीन जारी किए गए (1) धारा-नोटिस पर प्राप्त प्रतिक्रिया से सन्तुष्ट हो जाता है कि पारिवारिक सदस्य शव का अंतिम संस्कार करने की इच्छुक नहीं हैतो , ,वह परिवार के सदस्य को आदेश में यथा वर्णित समय अवधि के भीतर शव का अंतिम संस्कार ,जो बारह घंटे से अधिक न हो ,करने और सार्वजनिक स्थल से विधि विरुद्ध अवरोधयदि कोई होको तुरन्त प्रभाव से हटाने के लिए आदेश जारी करेगाः ,<br>परन्तु यदि विधि विरुद्ध अवरोध हटा दिया गया हैतो , यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि ,कार्यकारी मजिस्ट्रेट शव ,पारिवारिक सदस्य के पास ऐसा करने का पर्याप्त कारण है का अंतिम संस्कार करने के लिए समय अवधि को बढ़ा सकता है:<br>परन्तु यह और कि यदि पारिवारिक सदस्य विनिर्दिष्ट अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर शव का अंतिम संस्कार नहीं करता हैतो अगले बारह घंटों के भीतर अंतिम संस्कार करने के , लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट शहरी स्थानीय निकाय या संबंधित ,ग्राम पंचायत के किसी अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को निर्दे ,जैसा वह उचित समझेश देगा ।<br>(3) उप 20) धारा-के अधीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया आदेश विधि के किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। |
| शव का संचयन । | 8. अस्पताल प्रबन्धन-,<br>(क) सड़ने और क्षति से बचाव के लिए डीप फ्रीजर में सुरक्षित अवस्था में शव का संचयन करेगाऔर ;<br>(ख) यह सुनिश्चत करेगा कि शव को लिंग के आधार पर अलग किया गया है और गरिमापूर्ण रीति में रखा गया है । |
| शवपरीक्षा की - विडियोग्राफी और फोटोग्राफी । | 9. शव के प्रत्येक मामले मेंअस्पताल प्रबन्धन द्वारा मृतक के , परीक्षा की विडियोग्राफी -फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे और मृतक की शव की जाएगी । |
| आनुवंशिक डेटा की सूचना का संरक्षण । | 10. शव की आनुवंशिक डेटा की सूचना या आर0एन0ए0 डी0एन0ए0 , प्रोफाईलिंग के माध्यम से प्राप्त कीजाएगी और इसका रखरखाव - सावधानीपूर्वक और गोपनीय रुप से किया जाएगा। सूचना को ऐसी के लिए अनुरक्षित ,जो विहित की जाए ,रीति में तथा ऐसी अवधि किया जाएगा। |
| सूचना की गोपनीयता । | 11. कोई भी व्यक्तिक्षतांकन और सामाजिक आलोचना से बचने के लिए , मृतक से सम्बन्धित नैदानिक रिकार्ड की किसी सूचना को तब तक प्रकट नहीं करेगाजब तक विधि द्वारा अपेक्षित न हो या यह मृतक , के हित में न हो । |
| अदावाकृत शव का निपटान | 12. यदि कोई शव अदावाकृत रहता हैतो उसका निपटान हरियाणा , 1974)1974 ,रचना विज्ञान अधिनियम -शरीरका (24के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा । |
| विरोधप्रदर्शन के - | 13. कोई व्यक्तिप्रदर्शन करने के लिए करता -जो शव का उपयोग विरोध , |

| | |
|---|---|
| लिए दण्ड । | ,जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी ,है तो वह कारावास से से दण्डनीय होगा और एक लाख ,जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी रुपए तक के जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। |
| आनुवंशिक डेटा सूचना तथा गोपनीयता की सूचना के प्रकटीकरण के लिए दण्ड । | 14. कोई व्यक्तिजो विधि द्वारा प्राधिकृत न हो या जो इस प्रकार , प्राधिकृत हो किन्तु जो उचित प्रक्रिया अपनाए बिना या विधि द्वारा किसी आनुवंशिक डेटा सूचना तथा गोपनीयता की सूचना ,प्राधिकृत को प्रकट करता हैजिसकी अवधि तीन वर्ष से ,तो वह कारावास से , से दण्डनीय होगा ,जो दस वर्ष तक की हो सकेगी ,कम नहीं होगी तथा एक लाख रुपए तक के जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । |
| दुष्प्रेरणप्रयास , या षड्यंत्र के लिए दण्ड । | 15. जो कोई भीइस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने क ,े लिए दुष्प्रेरणतो उसी रीति में दण्डित ,प्रयास या षड़यंत्र करता है , किया जाएगा मानो उसने स्वयं वह अपराध किया हो । |
| संज्ञेय तथा अजमानतीय । | 16. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1974) 1973 ,का केन्द्रीय अधिनियम (2में दी गई किसी बात के होते हुए भीइस अधिनियम के अधीन सभी , संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे तथा कोई भी पुलिस ,अपराध इस ,निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो-जो उप ,अधिकारी अधिनियम के अधीन मामले की जांच करने के लिए सक्षम होगा । |
| सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण । | 17. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद , अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी । |
| नियम बनाने की शक्ति । | 18. इस अधिनियम के ,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ,सरकार (1) प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।<br>इसके ,इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम (2) राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा ,यथाशीघ्र ,बनाए जाने के बाद जाएगा । |
| कठिनाईयां दूर करने की शक्ति । | 19. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रुप देने में कोई (1) राजपत्र मे ,तो सरकार ,कठिनाई उत्पन्न होती है ं प्रकाशित आदेश द्वाराजो ,इस अधिनियम से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है , इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः<br>परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बादइस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं , किया जाएगा।<br>उ (2)पइसके किए ,के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश (1) धारा-यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा ,जाने के पश्चात् जाएगा।<br><br>उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण |

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकिभारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित 'जीवन का अधिकारके दायरे में 'मृतकों के अधिकार और सम्मान' भी शामिल हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति को बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी प्राप्त है। मृतकों के प्रति आदर और सम्मान मानवीय गरिमा की पहचान है। मृत व्यक्ति के अधिकार और सम्मान को ध्यान में रखते हुएकिसी को भी मृत शरीर का समय पर अंतिम संस्कार न करके किसी भी विरोध या आंदोलन के माध्यम से किसी भी मांग को उठाने या आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन के लिए किसी शव का स्वयं उपयोग न करे या उपयोग करने की अनुमति न दे।

यहविधेयक यानी 'हरियाणा शव का सम्मानजनकनिपटान अधिनियम, 2024'एक मृत शरीर के गरिमापूर्ण और समय पर अंतिम संस्कार के लिए प्रावधान करता है और यदि परिवार के सदस्य किसी शव को अस्वीकार कर देते हैऔरजिससे वह अंतिम संस्कार से वंचित हो जाता है, तो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा ऐसे शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह आवश्यक है। इसलिए यह बिल प्रस्तुत है।

(अनिल विज)
गृह मंत्री, हरियाणा

## लोक कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव का नोटिस

मैं मृत व्यक्ति के अधिकार और गरिमा से संबंधित 'हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान अधिनियम, 2024 के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव का नोटिस देता हूं

(i) 'हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान अधिनियम, 2024' को प्रस्तुत करने की अनुमतिदी जाए;

(ii) विधेयक पर विचार किया जाए;

(iii) विधेयक पारित किया जाए;

(अनिल विज)
गृह मंत्री, हरियाणा

## प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

'हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान अधिनियम, 2024' के खंड 18 की धारा की अपेक्षा अनुसार राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को पहले जैसे ही बनाया जाएगा, उसके बाद राज्य विधान सभा में रखा जाएगा। इसलिए, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन आवश्यक रुप से प्रत्यायोजित कानून के बारे में ज्ञापन ।

(अनिल विज)
गृह मंत्री, हरियाणा